राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/2010/५६३ दिनांकः– 25/11/2010

परिपत्र क्रमांक – 10/2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों को अन्वेषणाधीन रखने से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देश

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, वर्तमान में समुचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण/शिकायतों पर कार्यवाही की जाकर, पत्रावलियों को लम्बे समय तक अन्वेषणाधीन रखा जाता है, जबकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण औसत रूप से एक से दो माह में (प्रकरण की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में) निस्तारित किये जा सकते हैं, लेकिन समुचित प्राधिकारी अनावश्यक रूप से अपने स्तर पर प्रकरणों को लम्बित रख रहे हैं, एवं यह भी पाया गया है कि, प्रकरणों पर कार्यवाही को अपने स्तर पर ही रोक दिया जाता है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है
2. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह भी ध्यान में लाया गया है कि, वर्तमान में राज्य स्तर पर जिलों में लम्बित प्रकरणो के संबंध में, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप, राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा समुचित पर्यवेक्षण का अभाव रहता है, फलस्वरूप अन्वेषणाधीन रखे जाने वाले प्रकरणों की अवधि के संबंध में भी, पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है, ताकि अन्वेषणाधीन प्रकरणों की अवधि एवं उनके अनुसंधानरत रखने के औचित्य पर भी, समुचित रूप से पर्यवेक्षण रखा जा जाकर, प्रकरणों को अनावश्यक रूप से समुचित प्राधिकारियों के स्तर पर लम्बित नहीं रखा जा सके।
3. राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित अनुसंधानरत प्रकरणों एवं उनकी अवधि के संबंध में विचार किया गया फलस्वरूप, निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर, समस्त समुचित प्राधिकारियों को एतद् द्वारा, निम्न निर्देश प्रदान करते हुए प्रकरणों को अनुसंधानरत रखा जाने के लिये इस प्रकार समय सीमा निर्धारित की जाती है :–
   (1) प्रथम एक माह तक प्रकरण अनुसंधानरत समुचित प्राधिकारी के स्तर पर रखा जा सकेगा।
   (2) एक माह के पश्चात आगामी दो माह तक (एक–एक माह के लिये) प्रकरण के अनुसंधानरत रखे जाने की स्वीकृति, जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर प्रदान की जा सकेगी।

(3) तीन माह से अधिक प्रकरण अनुसंधानरत होने पर, प्रत्येक एक माह के लिये प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति, राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(4) बिन्दु सं0 3(2) एवं 3(3) में वर्णित स्वीकृति संबंधित अनुसंधान अधिकारी के द्वारा पूर्व प्राप्त की गई स्वीकृति की समयावधि समाप्त होने से पूर्व, सक्षम अधिकारी के समक्ष, निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में, प्रस्तुत की जाकर प्राप्त की जावे, जिसमें प्रकरण को अनुसंधानरत रखने के कारणों बाबत् पूर्ण औचित्य प्रकट किया जाकर, तथ्य अंकित करते हुये स्वीकृति प्राप्त की जावे।

(5) वर्तमान में एक माह से अधिक समस्त अन्वेषणाधीन प्रकरणों में, संबंधित अनुसंधान अधिकारी के द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(6) जिलों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों/निरीक्षणों से संबंधित कितने प्रकरण समुचित प्राधिकारी के पास वर्तमान में अन्वेषणाधीन होकर लम्बित चल रहे हैं, यह सूचना लंम्बित प्रकरणों की सूची सहित, प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट के साथ राज्य प्रकोष्ट में प्रेषित की जावे।

4. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर की गई कार्यवाही से संम्बंन्धित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चिंत करें एवं उक्त आदेशों किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(डॉ0 प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजीं सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

(26)

(27)

प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति का प्रारूप

(प्रारूप दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

क्रमांक

दिनांक

प्रेषक :– समुचित प्राधिकारी .....

प्रेषिति :– * 1. राज्य समुचित प्राधिकारी, द्वारा राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ जयपुर
* 2. जिला समुचित प्राधिकारी, जिला.....

विषय :– प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति बाबत्, प्रकरण विरूद्व .....

.....

महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण को दिनांक ..... से .....तक अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्रदान करावें, स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रकरण में अब तक, सक्षम प्राधिकारी ..... के द्वारा आदेश कमांक ..... दिनांक ..... के जरिये दिनांक .....से ..... तक प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्राप्त की गई है एवं अब तक प्रकरण में निम्न कार्यवाही पूर्ण की जाकर, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :– (संक्षेप में प्रकरण के तथ्य एवं अब तक पूर्ण की गई कार्यवाही का विवरण अंकित करें)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

प्रकरण अनुसंधानरत रखने के कारण :– (संक्षेप में प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही के बाबत् तथ्य एवं विवरण अंकित करें)

28

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*जिला समुचित प्राधिकारी/राज्य समुचित प्राधिकारी

क्रमांक

दिनांक

प्रकरण विरूद्व .....
में दिनांक ..... से .....तक प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवधि में प्रकरण का आवश्यक रूप से निस्तारण किया जावे।

सक्षम प्राधिकारी
*(जिला समुचित प्राधिकारी/राज्य समुचित प्राधिकारी)

* जो लागू न हो काट दें